विलफुल डिफॉल्ट और एनपीए

संदर्भ: वित्तीय वर्ष 2023 में 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि के बाद, आरबीआई के नए दिशानिर्देशों में बैंकों की ऋण चूक में वृद्धि की संभावना है।

- मार्च 2023 तक, 16,883 खातों में जानबूझकर चूक लगभग 50,000 करोड़ रुपये बढ़कर 353,874 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो मार्च 2022 में 304,063 करोड़ रुपये और 14,899 खातों से अधिक थी।
- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जैसे अग्रणी बैंकों ने कुल 79,271 करोड़ रुपये के 1,921 विलफुल डिफॉल्ट खातों की सूचना दी। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीबीआई बैंक सहित अन्य प्रमुख बैंकों ने भी विलफुल डिफॉल्ट खातों की सूचना दी है।
- बैंकों ने मार्च 2023 तक 926,492 करोड़ रुपये की वसूली के लिए 36,150 गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) खातों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
- प्रत्याशित आरबीआई दिशानिर्देश इनमें से कई एनपीए को विलफुल डिफॉल्ट खातों के रूप में पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं।
- आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) मार्च 2023 में 10 साल के निचले स्तर 3.9 प्रतिशत पर पहुंच गईं और मार्च 2024 तक इसके और कम होकर 3.6 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

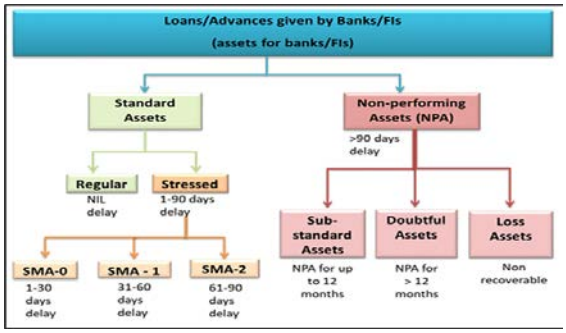

आरबीआई की विलफुल डिफॉल्ट की परिभाषा

जब कोई उधारकर्ता वित्तीय क्षमता होने के बावजूद पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो आरबीआई इसे **'विलफुल डिफॉल्ट खातों'** की श्रेणी में रखता है।

- आरबीआई ने सितंबर 2023 में नए दिशानिर्देश प्रस्तावित किए, जिससे ऋणदाताओं के खाते को एनपीए बनने के छह महीने के भीतर उधारकर्ता को 'विलफुल डिफॉल्टर' के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होगी।
- ऋणदाताओं द्वारा स्थापित एक पहचान समिति,विलफुल डिफॉल्ट खातों के साक्ष्य की जांच करेगी।
- हालाँकि, आरबीआई के 8 जून, 2023 के परिपत्र के अनुसार, जानबूझकर चूक करने वाले समझौता निपटान के लिए पात्र हो सकते हैं।
- कुल विलफुल डिफॉल्ट का 77 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीयकृत बैंकों और एसबीआई का है।

समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ़

- समझौता निपटान, एक समझौता है जहां उधारकर्ता कुल देय राशि से कम भुगतान करता है, जिसके परिणामस्वरूप ऋणदाता की बकाया राशि में एकमुश्त कमी हो जाती है।
- बैंकों ने पहले राइट-ऑफ के साथ कई समझौता निपटानों को मंजूरी दी थी, जिससे 2000 - 2014 के बीच गंभीर हानि हुई थी।
- आरबीआई अब समझौता निपटान से गुजरने वाले उधारकर्ताओं को नया एक्सपोजर देने से पहले कम से कम 12 महीने की न्यूनतम शीतलन अवधि (Minimum Cooling Period) अनिवार्य करता है।
- नीति में इस बदलाव ने बैंकिंग क्षेत्र को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि यह जानबूझकर चूक करने वालों और समझौता निपटान पर केंद्रीय बैंक के रुख में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

आरबीआई की नीतियों में बदलाव

- आरबीआई ने पहले 7 जून, 2019 को जारी **'तनावग्रस्त संपत्तियों (Stressed Assets')** के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे' के अनुसार 'विलफुल डिफॉल्टरों' को समझौता निपटान से बाहर रखा था।
- ढांचे में नवीनतम बदलाव से 'विलफुल डिफॉल्टर' करने वालों के लिए समझौता निपटान की अनुमति मिलती है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में जनता के विश्वास और जमाकर्ताओं के विश्वास को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
- नई नीति, बैंकिंग क्षेत्र की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है।
- यह नीति सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों, आदेशों , बैंकों और हितधारकों की प्रतिक्रिया के जवाब में आयी है।
- 'विलफुल डिफॉल्टर' पर केंद्रीय बैंक के बदलते रुख ने बैंकिंग उद्योग में अनिश्चितता पैदा कर दी है।

एंजल टैक्स

संदर्भ: स्टार्ट-अप को नोटिस के बीच, सीबीडीटी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिए एंजेल टैक्स प्रावधानों की जांच न करें।

- टैक्स विभाग ने पिछले हफ्ते एक निर्देश जारी किया था।
- ये निर्देश क्षेत्र के अधिकारियों को मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिए सत्यापन नहीं करने का निर्देश देते हैं।
- निर्देश विशेष रूप से आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viib) से संबंधित मामलों से संबंधित है।
- इस धारा को 2023 के वित्त अधिनियम में संशोधित किया गया था, जिसमें अनिवासी निवेशकों के लिए भी एंजेल टैक्स लेवी का विस्तार किया गया था।

क्या हैं नये निर्देश?

- CASS के माध्यम से स्टार्ट-अप कंपनियों को भेजे गए जांच नोटिस के कारण CBDT ने एक निर्देश जारी किया है।

- निर्देश निर्दिष्ट करता है कि डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप कंपनियों के मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की गई है, और एंजेल टैक्स से संबंधित नोटिस के संबंध में इन स्टार्टअप के लिए कोई सत्यापन आवश्यक नहीं है।
- कर विभाग का यह स्पष्टीकरण एंजेल टैक्स के लिए जांच नोटिस के संबंध में स्टार्ट-अप द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करता है।

सीबीडीटी दो परिदृश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है:

- यदि किसी स्टार्ट-अप को केवल आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) की प्रयोज्यता के लिए जांच के लिए चुना जाता है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, और इस पर मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप का तर्क है मामले को बिना अधिक जांच के स्वीकार कर लिया जाएगा।
- यदि किसी स्टार्ट-अप को आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (vii b) सहित कई मुद्दों पर जांच के लिए चुना जाता है, तो मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान धारा 56 (2) (vii b) की प्रयोज्यता पर विचार नहीं किया जाएगा।

एंजेल टैक्स क्या है?

- एंजेल टैक्स 30.6 प्रतिशत की दर से लगाया जाने वाला आयकर है।
- यह तब लागू होता है जब गैर-सूचीबद्ध कंपनियां निवेशकों को उनके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती हैं।
- प्रारंभ में, यह केवल निवासी निवेशकों के निवेश पर लगाया गया था।
- हालाँकि, 2023 के वित्त अधिनियम ने अनिवासी निवेशकों को शामिल करने के लिए एंजेल टैक्स को बढ़ा दिया।
- कर का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों को रोकना है।
- यह नए व्यवसायों के बीच कर आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन को लक्षित करता है।
- यह उन निजी कंपनियों पर लगाया जाता है जो उचित बाजार मूल्य से काफी ऊपर शेयर प्रीमियम प्राप्त करते हैं, जिसका उद्देश्य निवेश को विनियमित करना और उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करना है।

बजट 2023-24 में बदलाव

- वित्त अधिनियम 2023 ने स्टार्ट-अप के लिए विदेशी निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स का दायरा बढ़ाया है।
- डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को एंजल टैक्स लेवी से छूट दी गई।
- सीसीपीएस और गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन को संबोधित करते हुए, विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए अंतिम मूल्यांकन नियम पेश किए गए।
- अनिवासी निवेशकों के लिए, पाँच मूल्यांकन विधियाँ निर्धारित की गई हैं।
- अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों के निवेशकों को भारतीय स्टार्ट-अप में अनिवासी निवेश के लिए एंजेल टैक्स से छूट दी गई थी।
- विशेष रूप से, सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरीशस जैसे देशों के निवेशकों को छूट सूची में शामिल नहीं किया गया था।

सस्ते पानी की उच्च लागत

संदर्भ: "सस्ते पानी की उच्च लागत" नामक रिपोर्ट का अनावरण वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को किया गया था।

मुख्य निष्कर्ष

- वैश्विक जल संकट एक गंभीर ख़तरा है, जिसकी राशि 58 ट्रिलियन डॉलर है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 60% के बराबर है।
- पानी और मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र पर्याप्त आर्थिक लाभ प्रदान करता है, जिसमें सालाना लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर का अनदेखा लाभ होने का अनुमान है।
- नदियों, झीलों, आर्द्रभूमियों और जलभरों का क्षरण उनके आर्थिक मूल्य, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने में आवश्यक भूमिकाओं को खतरे में डालता है।
- अत्यधिक जल उपयोग और बाढ़ के मैदान पर कब्जे सहित अस्थिर कृषि पद्धतियां, प्राथमिक खतरे उत्पन्न करती हैं।
- दुनिया की मीठे पानी की खपत का 70% से अधिक हिस्सा कृषि में खर्च होता है।
- आर्द्रभूमि की हानि और मीठे पानी के वन्यजीवों की आबादी में 83% की गिरावट पानी की कमी और खाद्य असुरक्षा में योगदान करती है।
- नदियों और बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा और पुनर्स्थापन, स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को अपनाना और खाद्य उद्योग में स्थिरता को अपनाना खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
- स्वस्थ जल पारिस्थितिकी तंत्र, बाढ़ को कम करने, सूखे के प्रति लचीलापन बनाने और डेल्टा को बनाए रखने के द्वारा जलवायु अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में भूजल संकट

नवंबर 2020 में, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा निगरानी किए गए 33% कुओं में पिछले दशक (2010-2019) के औसत की तुलना में जल स्तर में 0-2 मीटर की गिरावट देखी गई।

- कई प्रमुख मेट्रो शहरों ने पिछले कुछ वर्षों में जल स्तर में तीव्र गिरावट का अनुभव किया है:
  - **कोलकाता:** 2000 के बाद से जल स्तर में 7 से 20 मीटर की गिरावट आई है।
  - **गाजियाबाद:** 2016 के बाद से 12 मीटर की गिरावट।
  - **गुड़गांव:** 2018 से जल स्तर 5 मीटर कम हुआ।
  - **नोएडा:** 2016 के बाद से 17 मीटर की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
  - **ग्रेटर नोएडा**: 2016 से 6 मीटर की कमी देखी गई।
  - **दिल्ली**: जल स्तर में 0.5 से 2 मीटर की वार्षिक गिरावट आ रही है।

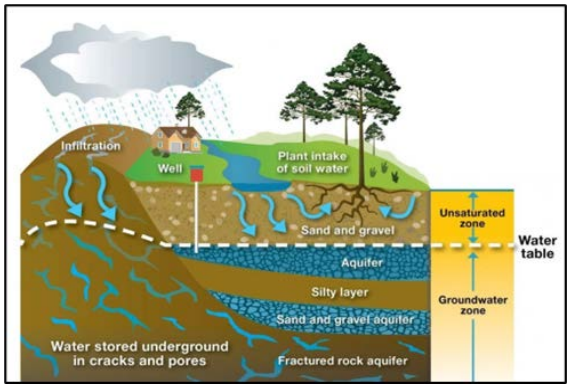

- भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जो वैश्विक भूजल निकासी का 25% उपयोग करता है।
- भारतीय शहरों में लगभग 48% जल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है।
- भारत में 4,400 से अधिक वैधानिक कस्बे और शहर हैं जिनमें लगभग 400 मिलियन निवासी हैं, और 2050 तक यह जनसंख्या 300 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।
- अनियमित भूजल उपयोग और जनसंख्या वृद्धि से 2050 तक 3.1 अरब लोगों के लिए मौसमी पानी की कमी और लगभग एक अरब लोगों के लिए स्थायी पानी की कमी हो सकती है।
- यह स्थिति जल और खाद्य सुरक्षा को ख़तरे में डाल सकती है और चल रहे बुनियादी ढाँचे के विकास के बावजूद शहरी क्षेत्रों में गरीबी में योगदान कर सकती है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ

- 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) को मूल रूप से वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड के रूप में जाना जाता था और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में उसी नाम को बरकरार रखा गया है।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो जंगल संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के लिए समर्पित है।
- दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण संगठन के रूप में, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ पांच मिलियन से अधिक व्यक्तियों के विशाल वैश्विक समर्थन आधार का दावा करता है।
- 100 से अधिक देशों में कार्यरत, WWF सक्रिय रूप से दुनिया भर में लगभग 3,000 पर्यावरण और संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन करता है।
- संरक्षण के प्रति डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की प्रतिबद्धता इसके पर्याप्त निवेशों से स्पष्ट है, जिसने 1995 से 12,000 संरक्षण पहलों का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन डॉलर से अधिक का आवंटन किया है।
- **2020 में, WWF के फंडिंग स्रोत इस प्रकार थे:** 65% व्यक्तियों और वसीयत से, 17% विश्व बैंक, DFID और USAID जैसी सरकारी संस्थाओं से, और 8% कॉर्पोरेट योगदान से।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

चेरियपानी (Cheriyapani)

चेरियपानी (Cheriyapani) के बारे में:

- यह भारत-श्रीलंका मार्ग पर चलने वाली एक नौका है जिसका नाम 'चेरियपानी' है।
- यह नौका सेवा 14 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुई है।
- यह सेवा भारत के तमिलनाडु में नागपट्टिनम और उत्तरी श्रीलंका के जाफना में कांक एसेंथुराई के बीच संचालित होता है।

ऐतिहासिक समुद्री संबंध:

- भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संबंध का एक समृद्ध इतिहास रहा है, इंडो-सीलोन एक्सप्रेस या बोट मेल जैसी सेवाएं 1900 के दशक की शुरुआत से 1982 तक चेन्नई से कोलंबो तक चलती थीं, बाद में श्रीलंकाई गृहयुद्ध के कारण इसे रोक दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने हैती के लिए एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को अपनी मंजूरी दे दी है।

यूएनएससी के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- यूएनएससी के अलावा, संयुक्त राष्ट्र के पांच अन्य प्रमुख अंग निम्नवत हैं: महासभा (यूएनजीए), ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
- यूएनएससी की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, जिससे यह वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण इकाई बन सके।
- UNSC में 15 सदस्य होते हैं। इसमें पांच स्थायी सदस्य (P5) और दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए दस गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं।
- भारत, एक गैर-स्थायी सदस्य के रूप में, 2021 में आठवीं बार यूएनएससी में शामिल हुआ और दो साल (2021-22) के लिए इस पद पर रहेगा। गैर-स्थायी सीटों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है।
- यूएनएससी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है।

69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

आज भारत की राष्ट्रपति (श्रीमती द्रौपदी मुर्मू) नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में:

- **स्थापना**: 1954
- **उद्देश्य:** "भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान" के लिए सम्मानित किया जाना। यह वर्ष 1973 से फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा शासित है।

पुरस्कार:

- **सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म**: आर. माधवन द्वारा निर्देशित 'द नांबी इफेक्ट' को 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है।
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता:** अल्लू अर्जुन को 'पुष्पा: द राइज' में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला।
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियाँ:** आलिया भट्ट और कृति सेनन को क्रमशः 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'मिमी' में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया।
- **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री/अभिनेता:** पल्लवी जोशी और पंकज त्रिपाठी को क्रमशः 'कश्मीर फाइल्स' और 'मिमी' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और अभिनेता के रूप में मान्यता दी गई।
- **राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म:** विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित 'द कश्मीर फाइल्स' को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार मिला।
- **सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म:** सृष्टि लखेरा द्वारा निर्देशित 'एक था गांव' को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का खिताब दिया गया।
- **सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म:** शूजीत सरकार द्वारा निर्देशित जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक ड्रामा 'सरदार उधम सिंह' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला।
- **सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार:** भाविन रबारी को गुजराती फिल्म 'छेल्लो शो' के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार मिला।

जडेरी नामकट्टी

हाल ही में, चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जडेरी नामकट्टी (Jaderi Namakatti) को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया।

जडेरी नामकट्टी के बारे में:

- जडेरी नामकट्टी का तात्पर्य मिट्टी की उन छड़ियों से है जो सफेद रंग की होती हैं।
- वे आम तौर पर चिकनी बनावट के साथ उंगली जैसी आकृति में उपलब्ध होते हैं।
- जडेरी नामकट्टी का निर्माण एक पारंपरिक शिल्प है।
- जडेरी नामकट्टी भारत के तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले में स्थित जडेरी गांव से जुड़ा है।
- इसका उपयोग मूर्तियों, पुरुषों और मंदिर के हाथियों के माथे को सजाने के लिए किया जाता है।

समाचारों में स्थान

सिनाई प्रायद्वीप

अवस्थिति: उत्तरपूर्वी मिस्र में अवस्थित, सिनाई प्रायद्वीप; एक त्रिकोणीय भूभाग है।

भौगोलिक सीमाएँ:

- उत्तर में यह भूमध्य सागर से घिरा है।
- पूर्व में इसकी सीमा इज़राइल और गाजा पट्टी के साथ लगी हुई है।
- पश्चिम में यह स्वेज नहर से सटा हुआ, जो मिस्र के अफ्रीकी हिस्से की तरफ है।
- दक्षिण में लाल सागर की सीमा से सता हुआ है।
- दक्षिणपूर्व में यह अकाबा की खाड़ी से घिरा हुआ है।
- समुद्री सीमाएँ: मिस्र सिनाई में जॉर्डन और सऊदी अरब के साथ समुद्री सीमाएँ साझा करता है।

ऐतिहासिक महत्व:

- 19वीं सदी के अंत में सिनाई प्रायद्वीप ब्रिटिश शासित मिस्र का हिस्सा था।
- जून 1967 में छह दिवसीय युद्ध के दौरान इस पर इज़रायली सेना ने कब्ज़ा कर लिया था।
- 1982 में, 1979 की हस्ताक्षरित शांति संधि शर्तों के तहत यह प्रायद्वीप मिस्र को वापस कर दिया गया था।

भौगोलिक विशेषताएं: यह पर्वत श्रृंखलाओं, रेगिस्तानों, पठारों और तटीय क्षेत्रों सहित अपने विविध क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषता के लिए जाना जाता है।

POINTS TO PONDER

- किस संस्था ने सामाजिक बांड के माध्यम से ₹1000 करोड़ से अधिक धन जुटाए हैं? - **नाबार्ड**
- किस राज्य ने लंदन में रोपवे निर्माण कंपनी पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? - **उत्तराखंड**
- 'पितृ पक्ष मेला' आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? - **बिहार**
- किस संस्था ने 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023' नामक रिपोर्ट जारी की? - **यूएनएफपीए**
- किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को "पर्ल ऑफ द सिल्क रोड" नाम दिया गया है? - **ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव**